

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान

203, बी.टी. रोड, कोलकाता -108



नं सी 22/आरबीसी

15 मई 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संस्थान के पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों एवं अनुग्रह प्राप्तकर्ताओं द्वारा किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (भारत सरकार की सूची के अनुसार) में बैंक खाता खोलने के संबंध में।

दिनांक 05 फरवरी 2024 को आयोजित संस्थान की परिषद की बैठक एवं दिनांक 30 जनवरी 2024 को आयोजित वित्त समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, तथा इस संबंध में सभी पिछले आदेशों का अधिक्रमण करते हुए संस्थान के पेंशनभोगी, पारिवारिक पेंशनभोगी एवं अनुग्रह प्राप्तकर्ता पेंशन के वितरण हेतु किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (भारत सरकार की सूची के अनुसार) में बैंक खाता खोल सकते हैं।

सभी संवितरण प्राधिकारी इस कार्यालय ज्ञापन के आधार पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन और अनुग्रह राशि के भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करें।


(रविंद्र कुमार)

मुख्य कार्यपालक (प्रशासन एवं वित्त)

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. सभी प्रभागों/विभागों/अनुभागों/इकाइयों आदि और बहिर्वर्ती केंद्रों/कार्यालयों आदि के प्रमुख
2. सेवानिवृत्ति हितलाभ प्रकोष्ठ
3. कार्मिक यूनिट
4. लेखा अनुभाग कोलकाता
5. निदेशक कार्यालय
6. मुख्य कार्यपालक (प्रशासन एवं वित्त) का कार्यालय
7. परिषद अनुभाग
8. प्रमुख, सीएसएससी, आईएसआई वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
9. पेंशनर एसोसिएशन